

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक : प.2(1)टोहास/97-पार्ट(2) | 20046

जयपुर, दिनांक 12/11/18

कार्यालय आदेश 29 / 2018

“लाईसेंस से ड्राईविंग तक हर जानकारी” पुस्तिका की प्राप्ति एवं वितरण के संबंध में जारी कार्यालय आदेश संख्या 27/2018 के बिंदु संख्या 5 में पुस्तिका की भुगतान राशि जरिए डीडी सदस्य सचिव, टोहास को प्रेषित करने बाबत लिखा गया था। इस संबंध में यह भी निर्देशित किया जाता है कि उक्त भुगतान राशि वाहन डीलर द्वारा सदस्य सचिव, टोहास के नाम से चेक के माध्यम से भी संबंधित जिला परिवहन अधिकारी को जमा की जा सकेगी।




(शैलेन्द्र अग्रवाल)
अतिरिक्त मुख्य सचिव
एवं परिवहन आयुक्त

क्रमांक : प.2(1)टोहास/97-पार्ट(2) | 20041 - 46

जयपुर, दिनांक 12/11/18

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं परिवहन आयुक्त महोदय।
2. वित्तीय सलाहकार।
3. अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.)/ (यो.वि.)।
4. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
5. समस्त प्रादेशिक/अतिरिक्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी
6. रक्षित पत्रावली।


सदस्य सचिव (टोहास) एवं
अपर परिवहन आयुक्त (यो.वि.)